उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 1167 (संवाद–11) दिनांक /Date.: 14.10.2019

।। अधिसूचना / विज्ञप्ति ।।

विज्ञापन संख्या–20 / उ0अ0से0च0आ0 / 2019, दिनांक 12.09.2019 का स्पष्टीकरण

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधीन दीवानी न्यायालयों एवं कुटुम्ब न्यायालयों में समूह 'ग' के कुल 329 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन संख्या–20 / उ0अ0से0च0आ0 / 2019 दिनांक 12.09.2019 को प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन में अभ्यर्थियों को जिलों का विकल्प दिये जाने के संबंध में यह स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है।

(2) संशोधित विज्ञापन दिनांक 12.09.2019 के प्रथम प्रस्तर के नोट में निम्न टिप्पणी दी गयी है:–

नोट–अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरांत उन्हें विकल्प के आधार पर (अभ्यर्थी की मेरिट को संबंधित जपनद में रिक्ति के अध्याधीन) नियुक्त किया जायेगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।

(3) इसके अतिरिक्त जिलों के वरीयता / विकल्प के संबंध में प्रस्तर–12(23) में निम्न प्रावधान किया गया है :–

"अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में वरीयता के आधार पर राज्य के सभी जनपदों में नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयनोपरांत उन्हें विकल्प के आधार पर (अभ्यर्थी की मेरिट को संबंधित जपनद में रिक्ति के अध्याधीन) नियुक्त किया जायेगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।"

(4) विकल्प के मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि सभी अभ्यर्थियों को प्रत्येक जिले का विकल्प चयन करने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। विकल्प चयन के समान मामले में विशेष अपील संख्या–721 / 2019 उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाम राकेश सिंह परोडिया व अन्य तथा विशेष अपील संख्या–722 / 2019 उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाम दलवीर सिंह दानू व अन्य मामले में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2019 को पारित निर्णय में यह व्यवस्था दी गयी है कि विकल्प के संबंध में विज्ञापन में पर्याप्त स्पष्टता होनी चाहिए इसके अतिरिक्त यह भी सिद्वान्त दिया गया कि चयन में मेरिट का संज्ञान लेना अति आवश्यक है।

(5) उपरोक्त आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सभी जिलों के विकल्प के लिए अर्ह माने जायेंगे। आवेदन पत्र में किसी एक जिले या एक से अधिक जिले का उल्लेख होने पर भी सभी जिलों के लिए उनका विकल्प स्वीकार किया जायेगा, किंतु विकल्प का अवसर लिखित परीक्षा के उपरांत तैयार होने वाले प्राप्तांक क्रम (मेरिट) के अनुरूप दिया जायेगा अर्थात सर्वोच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थी को किसी भी जिले में से विकल्प चुनने का पहले अवसर मिलेगा एवं उसी के अनुरूप मेरिट क्रम में नीचे के अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा।

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उपरोक्त संशोधित विज्ञापन दिनांक 12.09.2019 के विकल्प संबंधी प्रावधानों को उपरोक्तानुसार स्पष्ट किया जाता है।

14/10/19

(संतोष बडोनी)
सचिव।

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com